

अतिआवश्यक

संख्या: ईडीएन-यू (जी-1) वर्दियां /- 14167
कार्यालय शिक्षा उप-निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)
ddhe-una-hp@nic.in 01975 223850

सेवा में

दिनांक ऊना 9 अक्टूबर, 2019

खण्ड स्तर के प्रधानाचार्य
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला
कलोह, मुबारिकपुर अम्ब, थानाकंला, हरोली व ऊना (छात्रा)
जिला ऊना

विषय:-

अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सरकारी पाठशालाओं में कक्षा छठी से
वाहरवीं के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल वर्दियों की आपूर्ति वारे ।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र संख्या: शिक्षा
(प्रा0) एच0 (4) 3-10/2019 दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 के सन्दर्भ में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है ।
जिसकी छायाप्रति भेजकर उपरोक्त खण्ड स्तर के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए जाते हैं, कि पत्र के अनुसार
कार्यवाही करें । अगर किसी भी खण्ड स्तरीय प्रधानाचार्य के पास कम या अतिरिक्त वर्दियों का मामला
आता है, तो वह दो दिन के भीतर उप शिक्षा निदेशक उच्चतर ऊना के कार्यालय में सूचित करें ।

NRG

शिक्षा उप-निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)

पृष्ठान संख्या: सम

दिनांक

प्रतिलिपि:-


1 शिक्षा निदेशक उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला को सूचनार्थ प्रेषित है ।

31-
शिक्षा उप-निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)

संख्या : शिक्षा (प्रा0)एच0 (4)3-10/2019
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश ।

अति आवश्यक / समयबद्ध
अति महत्वपूर्ण

दिनांक शिमला- 171001 अक्टूबर, 2019



प्रेषित :-

1. समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उप निदेशक (उच्च शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश । *Uma*

विषय :-


अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सरकारी पाठशालाओं में कक्षा पहली से वाहरवीं के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल वर्दियों की आपूर्ति वारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में सरकार द्वारा सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे पहली से वाहरवीं कक्षा के सभी छात्र-छात्राओं को "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत निःशुल्क स्कूल वर्दियों के दो सैट एक साथ दिए जा रहे हैं। इस सन्दर्भ में आपको यह अवगत करवाया जाता है कि "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत कक्षा पहली से वाहरवीं तक के सभी छात्र-छात्राओं को वर्तमान में प्रदान की जा रही निःशुल्क वर्दियों की समस्त आपूर्ति हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से ई-निविदा के आधार पर सम्बन्धित L-1 फर्म द्वारा पूर्ण कर ली गई है, अतः आप स्कूल वर्दियों की **Laboratory test reports** प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र छात्र-छात्राओं में वर्दियों का आवंटन सुनिश्चित करें। आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि कक्षा पहली से दसवीं के सभी छात्र-छात्राओं को दो वर्दियों के सैटों की सिलाई हेतु मु0 200/- रुपये प्रति छात्र-छात्रा (100/-प्रति स्कूल वर्दी के सैट के हिसाब से) निर्धारित सिलाई की धनराशि प्रदान करना भी सुनिश्चित करें, जिसके लिए विभाग द्वारा दिनांक 01-08-2019 को वांछित बजट सभी चिन्हित वर्दी प्राप्त अधिकारियों (**Indenting officers i.e. BEOs/GSSS Principals**) को ई-वितरण (online) माध्यम से वितरित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप कक्षा पहली से वाहरवीं तक के सभी छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क स्कूल वर्दी के दो-दो सैट का शीघ्र आबंटन करना सुनिश्चित करें तथा इस के अतिरिक्त कक्षा पहली से दसवीं के सभी छात्र-छात्राओं को समस्त प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए निर्धारित सिलाई की धनराशि प्रदान करना भी सुनिश्चित करें। सभी पाठशालाओं में प्रत्येक छात्र-छात्राओं को सिलाई की निर्धारित धनराशि की अदायगी के APR's बनाना भी अनिवार्य होगा। यदि इस सन्दर्भ में किसी समय किसी प्रकार की वित्तिय अनियमितता की कोई शिकायत सरकार व विभाग के समक्ष आती है, तो उसके लिए विभाग द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक एवम् प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त सभी जिला के उप-निदेशक प्रारम्भिक एवम् उच्च शिक्षा को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि प्राक्तकर्ता अधिकारी (**Indenting officers i.e. BEOs/GSSS Principals**) के पास उनके अधीन पाठशालाओं से वर्दियों की अतिरिक्त मांग (additional demand) आती है या उनके पास



*write for
u/c so that shortcoming if
any may be sorted out
well in time*
9/10/19

9-1
10/10/19

अधिशेष वर्दियां (surplus uniform sets) प्राप्त हुई हो, तो उस स्थिति में आप अपने-अपने जिला स्तर पर वर्दियों का पाठशालाओं में आन्तरिक समायोजन (internal adjustment) करना सुनिश्चित करें। यदि उसके उपरान्त भी आपके जिला में स्कूल वर्दियों की अतिरिक्त मांग हैं तो अतिरिक्त वर्दियों के सैटस की मांग (additional demand) इस निदेशालय को दस दिनों के भीतर भेजे ताकि इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा शीघ्र अग्रिम कार्रवाई की जा सके।

कृप्या इसे अति आवश्यक और समयवद्ध समझे।

(रोहित जमवाल, हि0प्र0से0)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला -171001

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक अक्टूबर, 2019
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह भी इस सन्दर्भ में अपने अधीनस्थ समस्त जिला उप निदेशक (उच्च शिक्षा) एवम् समस्त शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य एवम् प्रमुखों को इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें।
3. रक्षक नस्ति।

(रोहित जमवाल, हि0प्र0से0)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला -171001